

**APPRAISAL REPORT
OF THE
EXPERT GROUP
CONSTITUTED FOR THE
EVALUATION OF THE SOCIAL IMPACT
ASSESSMENT STUDY OF
THE LUHRI HYDRO-ELECTRIC PROJECT STAGE-I
IN SHIMLA AND KULLU DISTRICTS OF
HIMACHAL PRADESH**



**Submitted to:
The Govt. of Himachal Pradesh, Shimla**

List of Abbreviations

SIA	Social Impact Assessment
SIAU	Social Impact Assessment Unit
HIPA	Himachal Pradesh Institute of Public Administration
SIMP	Social Impact Management Plan
R&R	Rehabilitation and Resettlement
PAFs	Project Affected Families
LHEP	Luhri Hydro Electric Project
GoI	Government of India
PSU	Public Sector Undertaking
Requiring Body	SJVN Ltd.
LADA	Local Area Development Authority
FGD	Focus Group Discussion
BPL	Below Poverty Line
RHEP	Rampur Hydro Electric Project
NJPC	Nathpa Jhakri Power Corporation
ST	Schedule Tribe
SC	Schedule Caste
SC	Schedule Caste

1. BACK GROUND

Government of Himachal Pradesh in the year 2016 awarded Luhri Hydro Electric Project with an installed capacity of 210 MW to M/S SJVN a Joint venture PSU of GOI & Government of HP for the construction and operation purposes. The salient feature of the Luhri Hydro Electric Project are given as per annexure-i. In accordance with the detailed project report approved by GOI the Requiring Body proposes to acquire 98.1004 hectares of Govt. Forest land and 50.9712 hectares of private land measuring in total about 149.0716 hectares. This 50.9712 hect. area of private land spread over in six Gram Panchayats of eight revenue villages of the Shimla and Kullu Districts was identified and proposed for acquisition and locating different components of the project as per layout plan of LHEP Stage-I (Annex-i)

The process of acquisition of the proposed land is to be executed as per the procedure and guidelines specified in:

- Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 (RTFCTLARR Act 2013)
- &
- Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and consent) Rules ,2015 (HP RTFCTLARR Rules 2015)

As per section 4 of the RTFCTLARR Act 2013, a Social Impact Assessment Study (SIA) is required to be carried out before initiating land acquisition notifications under section 11 of the Act. Accordingly consultation process with concerned Panchayats, villages and affected population was carried out for ascertaining the social impact, the proposed land acquisition will have on the affected villages and its inhabitants.

The SIA report thus prepared by engaging the services of an agency AFC India Limited provides detail information on the:

- Enumeration of the Land losers.
- Socio-economic and cultural profile of affected villages and Panchayats
- Number of families to be displaced
- Number of built-up structures to be affected and their nature of use
- Inventory of stakeholders

- Inventory of vulnerable groups
- Broader out line and procedure to be followed for land evaluation
- Assessment on the extent and intensity of positive and negative social impact of land acquisition and project implementation likely to trigger.
- Rehabilitation and Resettlement aspects of the displaced PAFs
- Social Impact Management Plan (SIMP)

2. CONSTITUTION OF EXPERT GROUP

As per the Act once the SIA report is ready it shall be evaluated by an expert group. In compliance to this stipulation Government of Himachal Pradesh, Department of Revenue vide notification No. Rev.B.A. (3)-3/201-Vol.II dated 19/07/2018 and notification no. Rev.B.A. (3)-3/2014-II dated 14/08/2018 constituted an independent Multidisciplinary Expert Group of members for appraisal/ evaluation of the Social Impact Assessment Study and Social Impact Management Plan for the acquisition of private land measuring 50.9712 hect. for the construction of Luhri Hydro-Electric Project in Shimla and Kullu Districts. The Expert Group comprised of the following officials/non- officials members:

- Er. K.L. Thakur, Director, HIMURJA, Chairperson & Technical Expert for the Specific Project i.e. LHEP, Stage – I.
- Prof. S.K Sharma, (Retd.), Professor of Sociology, HP University, Shimla Non Official Social Scientist.
- Dr. Ranveer Singh, (Retd.) Head of Agro- Economic Research Centre, HP University, Shimla Non Official Social Scientist.
- Smt. Chamelo Devi, Member, Panchayat Samiti, Tehsil, Nirmand, District Kullu, Representative of Affected Gram Panchayats of District Kullu.
- Smt. Ram Dassi, Member, Zila Parishad, District Shimla, Representative of Affected Gram Panchayats of District Shimla.
- Dr. R. K. Sood, (Retd.) Chief Scientific Officer, Govt. of HP, Rehabilitation Expert.
- Dr. V. B Negi, Joint Registrar, IGNOU, Shimla, Rehabilitation Expert.

2.1) MANDATE OF THE EXPERT GROUP:

The Expert Group constituted under sub-section (1) of section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement Act, 2013, after going through the Social Impact Assessment Study should assess :

- Whether the Project serves any public purpose
- Whether Potential benefits outweigh the social costs and adverse social impacts.
- Whether the extent of land proposed to be acquired is the absolute bare minimum extent needed for the project.
- Whether there are other less displacing options available with effective rehabilitation plan.

3. PARAMETERS ADOPTED FOR EVALUATION

The expert group after due deliberations considered the following parameters for evaluating the SIA report:

- a) Appropriateness and completeness of the process adopted for the social impact assessment studies (SIA)
- b) Extent and transparency with which public consultation carried out
- c) Extent transparency and quality of participation of different stakeholders in the SIA process
- d) Social profile and social indicators
- e) Identification of vulnerable groups
- f) Effectiveness of Social Impact Management Plan (SIMP)
- g) Public perception and redressal of public concerns
- h) Public interest served
- i) Social costs vis-a-vis adverse social impacts
- j) Minimum extent needed and alternatives
- k) Rehabilitation and resettlement and relief aspects

3.1) Appropriateness and completeness of the process adopted for the SIA study:

The Social Impact Assessment Study is essential component in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013), Chapter II section 4(1). Social Impact Assessment (SIA)

study requires a significant perfection in terms of data authentication, the quality with extremely thorough, careful and in-depth assessment, presentation of balance and comprehensive views, so as to function as a technical document based on which decisions about the development of the proposed project can be made.

According to the SIA report, the study team collected the data and required information from official records; stakeholders' consultation through focus group discussion (FGD), representatives of the Gram Sabha, local PAFs and sample survey conducted among the directly affected families (families who are likely to lose their land) and indirectly affected families (those living near the proposed land acquisition). In addition, they also conducted field visits to assess the ground reality of the land acquisition and to prepare the SIA report based on public hearing in different places. All the PAFs in the eight revenue villages of Shimla and Kullu districts comprising about 1003 households having ownership rights over 50.9712 hectares of land that is proposed for acquisition were taken up for the study. For household survey, a Survey Questionnaire developed by the team was vetted by SIAU of HIPA before adoption.

The expert group after reviewing the methodology and approach followed for undertaking the study is of the considered opinion that the procedure adopted was complete and was in consonance with the guideline prescribed in the Act & Rules laid for this purpose.

3.2) SOCIO ECONOMIC PROFILE OF THE AFFECTED PANCHAYATS:

Proposed project is located in Shimla and Kullu Districts of Himachal Pradesh with an installed capacity of 210 MW and having design discharge of 644.19 cumecs. LHEP is a runoff river scheme and will store water for short duration mainly for peaking purpose.

- The total land that needs to be acquired for this project is 149.0716 hectares, close to the National Highway 5 on the right and left banks of the Satluj river. About 50.9712 hectares of private land is proposed to be acquired from 1003 landowners from eight revenue villages of six gram Panchayats of Shimla District i.e. Charontha, Rewali, Bhadrash, Naola, Narola, Nirath and two villages i.e. Neether and Gadej of Kullu districts.

- The total population of the eight villages that are likely to be impacted sums up to 6095 (2011 Census), of them land of only 1003 landowners is proposed for acquisition which works out to 16.46% of the total population.
- The survey indicates that the entire region is an agrarian economy as agriculture is the mainstay of many PAFs since generations. Around 85% of the total PAFs are having agriculture as their main occupation, 7% households are engaged in government service, 5% in private sector jobs, and only 1.5% in self-employment ventures. A negligible number of households was dependent on income from pension and daily wages.
- Income levels survey revealed that 624 PAFs were having annual income less than Rs 50,000 and only 30 PAFs were having income more than Rs75, 000.
- Most of the households are engaged in rearing of cows. However, this is not a supplementary source of livelihoods for the majority of them
- Acquisition of private agriculture land will impact 36 PAFs from 6 villages, as at the most they will be losing 100% of their land and agriculture based livelihood. Similarly, 14 persons from 4 villages will lose their 85 % to 99% and 1 person from Reewali village will lose 70% to 84% of his agriculture land .
- SIA report indicates that of the 91 affected structures only 54 are residential and remaining 37 are cattle sheds, huts etc. 77% of them are semi-permanent in its built, with tiled roof and cement floor, while 24% are temporary buildings made with mud/brick/wood and thatch or tin roof. Only 21% of the structures are permanent type-built with RCC and made into single/double story buildings.
- Most of the land in the affected villages is cultivated twice a year- in Rabi and Kharif Season. Wheat, maize, potato and pulses crops are grown in the area. Some landowners in the affected areas also produce vegetables.
- The total affected land has around nine thousand trees, 51% of which bear fruits in various seasons and the rest comprises of non-fruit bearing trees. The fruits comprise of Apple, Plum, Almonds and Mango.
- More than three-fourth of the PAFs wants the requiring body to help them to relocate while only 23% would like to relocate themselves on their own.
- Against the land loss, more than 97% wants cash rather than land as compensation. The rest who preferred to receive land against the land lost, expressed their apprehension about the fertility and location of the land that will be offered as compensation

- For the structure loss, 14% of PAFs want similar structure to be made by the project against the structure lost as part of acquisition plan. Whereas 86% cited their preference for receiving cash against the structure loss.

After going through the socio economic data presented in the report, expert group is convinced that the reliability of data is good and information generated as part of the SIA process can be effectively and usefully used for evolving practical R&R and SIMP plans.

The expert group also noted that likely social impact will be minimal and manageable as only 5.4% (54) of the total project affected families (1003) will have to undergo displacement.

It was also observed that there will be no involuntary displacement as the majority of the PAFs are willing to part with their land for the project activities and cooperating well with the proponents in the consultation process.

The expert group observed with concern that the majority of PAFs are poor farmers as pre project income level survey indicates that 68 % of them are having annual income less than Rs 50,000 . It was also observed that a large number of the PAFs (42%) had outstanding loans for credits availed for agriculture activities. It is recommended that absorbing of such liabilities be considered as part of compensation package in the case of PAFs losing hundred percentage of their agriculture land under acquisition process.

It is recommended that adverse socio economic impacts should be offset by evolving specific R&R plan for empowering displaced families with alternative employment options and by providing them with the tools to create sustainable new livelihoods.

3.3) Vulnerable groups:

- The SIA report identifies the vulnerable PAFs like physically and mentally challenged and women-headed households who will face adverse impacts due to land acquisition in the hydro-electric power project.
- Distribution of numbers of all the members by gender revealed that the proportion of men and women are almost equal. Out of 920 families, 169 families reported to be having unmarried boys aged above 21 years. Likewise, 73 families stated having unmarried girls aged more than 18 years.

- About 66 of the households are headed by women. According to the last BPL enumeration, close to 45 of the households were designated as Below Poverty Line households. Number of widow/divorcee is 13. There are only 3 PAFs with physically/mentally challenged family members. There are no minor orphans in the PAFs surveyed.
- Presence of 50 Muslim families as vulnerable stakeholders was noticed in the project affected areas. These families have constructed residential houses after identification of government land by the revenue department many years ago. But they have not been conferred the title till date.

The Expert Group is satisfied with the efforts made for identification of the vulnerable groups and suggests that the resettlement plan must consider their needs and ensure that they are considered during the resettlement planning and application of mitigation measures for providing possible assistance as admissible under the R&R Policy of the requiring body.

3.4) Extent, transparency and quality of participation of different stakeholders in the SIA process

For the preparation and assessment of the social impacts people participation was ensured through Participatory Rural Appraisal (PRA) exercises, public consultations and by organizing Focused Group Discussions. The SIA team had undertaken elaborate public consultations in the affected areas. It also consulted the affected population through household survey to assess their views, and, make them aware of the likely negative impact and future benefits of the project. This was done so as to enable them to understand the impacts of the project clearly. Organization of public hearings in almost all the affected panchayats also ensured that all stakeholders were involved in the process of SIA Study. Formation of Suryanarayan Baand Vishthapit Sangharsh Samiti and representations made by individuals and local bodies is an eloquent testimony to the level of awareness and participation that was ensured in the SIA process. The nature of the issues raised and concern expressed during public hearings and through their representations covered all aspects of social impacts and rehabilitation & resettlement. All this further reflected on the high level of understanding and awareness of the stakeholders.

The expert group expressed satisfaction that in the process of SIA study community participation was not only widespread but productive as well.

3.5) SOCIAL IMPACT MANAGEMENT PLAN (SIMP)

In order to mitigate the impacts and risks likely to be generated by the Luhri Hydro Electric Project SIMP has been developed taking into consideration the outcome of the SIA and concerns expressed by people at different levels.

The suggested development measures are:

- Afforestation
- Providing Lift irrigation facilities
- Strengthening Water supply and its quality
- Strengthening Health Services (Hospital)
- Schools and Scholarships
- Technical Institutions
- All weather Roads
- Free Power Supply to the Project Affected Families
- Promotion of Sports
- Awareness Camps

Suggested income restoration initiatives are:

- Promotion of Tourism
- Formation and strengthening of Self Help Groups
- Food processing units and cold storage
- Institutional linkage for income restoration

Development of farmers & community oriented set up

- Establishing Seed Banks
- Establishing Gaushala to control the menace of stray animals
- Facilitating the establishment of local Mandi or Rural Haat
- Organizing financial literacy camps for PAFs

After deliberating on the initiatives suggested as part of the SIMP the Expert Group observed that the suggested mitigation plan has covered almost all aspects of impacts identified as a part of SIA study. The mitigation plan has also tried to address the

concerns of people expressed during public consultation. It is further suggested that while developing detailed R&R and mitigation plan the following should be considered on priority

- a) Plan must suggest ways for providing alternative employment to PAFs who will undergo displacement and will lose 100% of their agricultural land on account of acquisition.
- b) Mapping of skills of all PAFs be done so that practical and appropriate skill development programmes can be developed on a priority to improve the employability of PAFs.
- c) The majority of families in the project area are farmers, hence a plan should be developed for increasing the agricultural and horticultural productivity of land by developing irrigation facilities and providing other technological inputs and market linkages to the farmers.
- d) Efforts should also be made to popularize and apply the concepts of organic farming and zero budgets farming the popular schemes of government of HP. The services of experts from universities may be taken for this purpose.
- e) It is also observed that even though rearing of cows is a common occupation of the majority of PAFs yet this activity has not been developed on a commercial scale. There is a potential to provide required thrust to this activity for enhancing income avenues and empowering women.
- f) Simultaneously during the acquisition process restoration of public utilities that are likely to be affected such as village paths, crematoria, water sources, ropeways etc should be undertaken on a priority basis.
- g) Specific plan be evolved for protecting the concerns of vulnerable groups identified as part of the SIA exercise.
- h) Development of model villages should also be considered.
- i) Expert Group also observed that while planning for the development of colony for displaced families the lessons learnt from past experience, and, particularly in RHEP & NJPC should be taken in to consideration.

3.6) PUBLIC PERCEPTIONS AND REDRESSAL OF PUBLIC CONCERNS:

It was observed that as part of SIA exercise pre land acquisition census and public consultations were done besides focused group discussions (FGD) and participatory rural appraisals (PRAs) for capturing the perceptions and expectations of the community.

Expert Group was satisfied with the number and spread of public hearings conducted at Nirath, Neether, Dehra, Gadrej, Shamathala (Rewalli) and Duttnagar for capturing community perception on the impacts and expectation from the project. Some of the common issues that emerged during such interactions are :

- a) Size, time bound and hassle free delivery of compensation package.
- b) Employment to displaced families
- c) Development of model villages
- d) Improvement and provision of the health services
- e) Provision of improved drinking water and irrigation facilities
- f) Acquisition of left out economically unviable land
- g) Improving and strengthening road connectivity
- h) Renovation of religious places
- i) Tackling sporadic water quality issues, like excess fluoride contents in water
- j) Restoration of public utilities

Expert Group while is in agreement with various recommendations made as part of the SIA report further suggests that the compensation package as part of 2013 Act may require reconsideration in certain components in view of the inflations during the last five years.

Since land is an important physical asset and agriculture is a main source of livelihood in the project area, therefore, the compensation cost for loss of private agriculture and commercial land, loss of private structures such as residential houses, commercial shops, other properties, and, related existing infrastructure and loss of livelihood of the PAF should be paid as per the existing Acts and norms prevalent in the state of HP, and, also in conformity with the packages paid to PAFs of Rampur Hydro Electric Project located just upstream of the present project.

The other unaddressed concerns which were again brought to the notice of the Expert Group by public representative members are:

- a) **Acquisition of left out land**
- b) **Inclusion of some additional panchayats in the list of project affected panchayats**

The Expert Group carried out a field visit on 1st and 2nd September, 2018 to the proposed Affected areas to ascertain ground reality and after deliberations on both the issues, it observed that in principal it would be imperative to keep the land acquisition at bare minimum and any recommendation for acquiring additional land need to be avoided, However, at the stage of actual measurements and land mutation process if it is observed that only small patches and fragmented landholding adjoining to the acquired land are left out and the same cannot be put to any productive use by the PAFs, the requiring body may consider acquiring the same by obtaining the necessary permission from the competent authority.

Similarly, the issue of declaring Gram Panchayats Barach, particularly villages Barkeli, Barach, Danevtha, Thua, Panel and Delth Panchayat as project affected areas was discussed at length. The expert group was of the view that since there is a definite criteria that has been prescribed and used while identifying the project affected villages and panchayats any deviation from the existing procedure may require the approvals from competent authority. At this stage in the absence of technical reasons the Expert Group is not in a position to make any specific recommendation. However, in view of the fact that proposed villages are located in the vicinity of project area, inclusion of these may be considered once the EIA process is complete and technical justification is available.

3.7) PUBLIC PURPOSE SERVED

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RTFCTLARR Act, 2013) defines eight types of land acquisitions as public purpose, one of which is “Acquisition of land for railways, highways, ports, power and irrigation purposes for use by government or by government controlled corporations” (also known as public sector companies)

The proposed run off river Luhri Hydro Electric Project will generate clean renewable energy and will feed into the national electricity grid 777.40 GWH. The energy so produced will provide much needed additional renewable power for homes, hospitals, schools and industries. By generating clean energy with minimal impact on the environment the project

has potential to avert the emission of CO2 there by helping in controlling the global warming. While the power generated will strengthen the national grid the state of Himachal will receive 12% free power for meeting growing needs of its people and industry in the state.

Thus the Expert Group is of the view that the proposed project is of immense public service purpose.

3.8) POTENTIAL BENEFITS VIS-A VIS SOCIAL COSTS AND ADVERSE SOCIAL IMPACTS.

The proposed Luhri Hydro Electric Project besides generating the clean energy will provide a sustained source of income to the affected population.

As per the state policy, on commissioning of the project 100 units of free electricity will be provided to the affected families. The policy also ensures that after the commissioning of the project, families of the project affected areas would be provided annuity payment out of the revenue generated from the sale of 1% free power provided to the state Govt. by the proposed project throughout its life.

The availability of 1.5 % of LADA fund will boost the development of necessary infrastructure and other utilities.

The availability of monetary compensation has a potential to transform the life style completely. The creation of new direct and indirect job opportunities and livelihood options will create a positive impact on the lives of affected families by providing safety and livelihood security.

Development of hydro electric project generally lead to eight types of destructive displacement risks for local populations, such as landlessness, joblessness, homelessness, marginalization, increased morbidity and mortality, food insecurity, loss of access to common property, services and community disarticulation. The economic impacts of the land acquisition include the loss of agriculture/ horticulture land, houses or businesses, or the loss of business income, be either temporary or permanent in nature. The influx of workers and other economic migrants to the area at different phases of project implementation is also likely to impact adversely

The suggested mitigation measures and minimum R&R measures as stipulated in the SIA document, if properly implemented, has a potential to offset all the adverse social impacts resulting due to land acquisition process.

The Expert Group observed that estimated project cost is approximately Rs.1912.59 crores which includes Rs. 297,9760,422.23 as compensation of land, rehabilitation and resettlement activities excluding the cost of standing crops. Thus the estimated cost of SIMP implementation and land compensation as part of the 2013 Act is only 15.57% of the total project cost which is reasonable when seen from cost benefit perspective

3.9) MINIMUM EXTENT NEEDED AND ALTERNATIVES

The Luhri Hydro-Electric Project is, perhaps, the single largest project that has undergone detailed scrutiny of the experts as its design and location has been modified many a times on account of environmental considerations. The alternative studies carried out include Dam site at Nirth village and Power house at Khegsu village. Similarly, Dam site downstream of village was ruled out due to high cost and anticipated difficulties in construction. Construction of Power house was considered both on right and left banks and finally right bank was chosen to accommodate all four units.

The Expert Group is, therefore, satisfied that present specifications have been worked out after elaborate iteration process and meticulous planning. The land requirements projected for acquisition are kept at bare minimum, as about 72% of 50.9712 hectare private land proposed for acquisition would be submerged in the reservoir and about 18% will be utilized for dumping purpose.

3.10) DISPLACEMENT, REHABILITATION AND RELIEF

Land is a precious resource for the farmers, landowners and also an important source of livelihood. For undertaking development works land is the basic requirement. But with the acquisition of land for such activities, there will be displacement of local communities from their land leading to economic, social and cultural disruption. However, the process of resettlement in any project is always associated with pains and pleasures of the affected people as it will incur both benefits and losses.

Compensation in term of cash for persons directly affected by developmental of hydro electric project for their losses of land, house and other structures is not sufficient as land owners are sentimentally attached to these lands and dwellings over generations and were meeting all their livelihoods from these lands only. Since the resettlement affects all the

major determinants of people's life, occupations, housing conditions, lifestyles, social relationships, and social support systems, therefore, Resettlement and Rehabilitation (R&R) Plan for project affected families should be formulated in association with the concerned state government, district administration and representatives from affected families and other stakeholders in the area. Suggested components to be included in R&R package of LHEP are as follows:

a) Compensation

Compensation to be worked out as per existing rules and regulation and past practices in the similar situations.

b) Physical Rehabilitation

- Development of village infrastructure etc.
- Providing agricultural land depending on availability or landless grant and as per the government policy.
- Development of public health care centre, school, community centre etc. for the mass benefits of the affected area.
- Provision of basic amenities like road, bridge, public path, drinking water, electricity, medical facilities, etc.
- Special measures for vulnerable groups such as BPL, SC/ST Families, Widows, Physically and Mentally retarded persons and other vulnerable Muslim families of the affected area
- Renovation/ relocation of public utilities and religious structures.
- Before displacing the settlements their common property resources (CPRs) have to be given due consideration and are to be compensated properly.

c) Economic rehabilitation

- Providing assistance for agricultural/ horticultural activities and non-farm economic activities etc
- Transportation, charges for household items, cattle etc.
- Solatium charges as per the act.
- Financial assistance for construction of cattle shed etc.

d) Training

- Vocational training to develop entrepreneurial skills.
- Financial literacy training in affected project area to educate about the financial Management.
- Cultivation and management of soil and water conservation, selection of crops and varieties as well as other cultural practices for better production etc.

The land holders losing their land, house, etc however, are sentimentally attached to these lands/houses over generations and meeting all their livelihoods from these lands only. They have expressed many concerns, apprehensions and problems, which were also raised in the public hearings as well as in the Expert Group meetings. Therefore, the rehabilitation and resettlement plan should be developed by taking into consideration the needs and aspersion of the people. Otherwise rehabilitating the communities without providing them economic and social viabilities could pose a threat to their survival.

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE EXPERT GROUP

After going through the Social Impact Assessment Report, social profile of the area and public concerns expressed during public hearing and representations made by the stakeholders the Expert Group made the following observations and recommendations:

- **The majority of the stakeholders including the PAFs and local administration unequivocally were of the view that the project work should start at the earliest without further delay.**
- **People are willing to part with their land for the project work provided they are adequately compensated for their loss. In fact, it is a peculiar situation when people are eager even to give the remaining land and the project authorities are reluctant and committed to keeping their requirements to a bare minimum.**

- **Response and reaction of people during public consultations suggests that they are convinced of the positive impact the project will make to them and with the coming up of LHEP they will experience much desired development and prosperity in their lives.**

Even, though the project is conceived as run of the river scheme yet with the construction of 80m high dam it will create a storage submerging large track of land for considerable period of time apart from peaking purpose. The impoundage of water will affect the downstream flow of the stream. However, availability of 20% water flow during lean season, 30% during monsoon season and 25% during normal season is required to be maintained and monitored for preserving the ecology of downstream areas, and, for addressing issues concerning riparian rights such as drinking water, health of aquatic life, wild life and fisheries etc.

- **The quantum of private land proposed for acquisition is bare minimum and cannot be avoided as the same will be utilized for accommodating critical project components.**
- **Its only 16.45% of the total population from the eight affected villages that will constitute 1003 affected families and only 5.4% of them will be displaced. The resettlement and rehabilitation of 54 PAFs may not pose a major problem as only 15 to 18 % of the total project cost is required to be spent on land acquisition, mitigation and R&R purposes. Keeping in view the poor financial status of the majority PAFs the Expert Group recommends that apart from financial literacy the project authority should consider constitution counseling cells for the better management of compensation funds provided to the PAFs.**
- **R&R and SIM plan incorporates all the required mitigation and ameliorative measures and adequately addresses the concerns of the PAFs raised during the public consultations. It is expected that the suggested mitigation and R&R plans will directly benefit the communities and help in providing improved communication, connectivity health and education facilities and livelihood opportunities that are sustainable for future generations.**

- There are only few outstanding issues such as size and shape of final award, declaration of additional areas as project affected areas, acquisition of the additional land which will be settled once acquisition and Environment Impact Assessment process is complete.

Keeping in view the above facts into consideration and noting with satisfaction that the LHEP will feed 777.40 GWH into the national grid and bring much desired prosperity to the area, the Expert Group has no hesitation in recommending that proposed project besides fulfilling the public interest considerations its potential benefits will out ways the social costs and adverse social impacts . Hence the Expert Group strongly recommends that the project should be taken up without further delay and process of land acquisition be initiated at the earliest.



Prof. S.K Sharma,
Professor of Sociology (Retd.),
Non Official Social Scientist



Dr. Ranveer Singh,
Head of Agro- Economic
Research Centre (Retd.),
Non Official Scientist



Smt. Chamelo Devi,
Member Panchyat Samitti,
Representative of Affected Gram
Panachayat's Tehsil, Nirmand, District Kullu



Smt. Ram Dassi,
Member, Zila Parishad, District Shimla,
Representative of Affected Gram
Panachayat's of District Shimla



Dr. R. K. Sood,
Chief Scientific Officer (Retd.),
Rehabilitation Expert



Dr. V B Negi,
Joint Registrar,
IGNOU Shimla,
Rehabilitation Expert



Er. K.L. Thakur,
Chairperson & Technical Expert
Director, HIMURJA,

Annexure-I

LAYOUT PLAN OF LHEP STAGE -I (210 MW)

A. Component wise Detail of Private Land

Sl. no.	Name of District	Name of Panchayat	Revenue Village	Private Land (Ha)	Name of Component	Component wise detail of Land (Ha)
1	Shimla	Shimshala	Riwali	07-43-22	Dumping (DS-2)	07-14-58
						00-28-64
						00-34-81
						00-34-85
						01-30-85
						00-42-48
						08-85-23
						00-11-97
						04-63-96
						02-27-05
2	Kulu	Dehra	Nithar	18-08-98	Quarry (Main)	13-46-43
						02-25-90
						00-77-58
						50-97-32
						00-47-06
						00-07-79
						00-35-53
						00-86-31
						04-00-30
						28-43-45
3	Kullu	Dutnagar	Nithar	18-08-98	Reservoir	18-08-98
						11-86-32
						06-45-41
						07-33-72
						02-28-12
						02-46-98
						09-12-47
						12-82-32
						03-09-85
						98-10-34
Total						50-97-32
						149-07-15ha

B. Component wise Detail of Forest Land


Sl. no.	Name of District	Name of Panchayat	Revenue Village	Forest Land (in ha)	Name of Component	Component wise detail of Land (Ha)
1	Shimla	Shimshala	Riwali	00-47-06	Dumping (DS-2)	00-47-06
						00-07-79
						00-35-53
						00-86-31
						04-00-30
						28-43-45
						18-08-98
						11-86-32
						06-45-41
						07-33-72
2	Kullu	Dehra	Nithar	18-08-98	Reservoir	18-08-98
						11-86-32
						06-45-41
						07-33-72
						02-28-12
						02-46-98
						09-12-47
						12-82-32
						03-09-85
						98-10-34
Total						50-97-32 ha
						149-07-15ha

Panchayat Wise Land Detail

Name of Dist.	Name of Panchayat	Forest Land (Ha)	Private Land (Ha)
Shimla	Shimshala	00-92-98	09-08-1992
	Nithar	35-32-96	09-40-68
	Dutnagar	18-63-73	04-63-96
	Sub Total	54-87-07	23-13-56
Kullu	Nithar	27-99-67	18-08-1998
	Dehra (underground)	02-46-98	05-73-58
	Goala	12-82-32	05-73-58
	Sub Total	43-25-97	27-82-56


Distance Chart For Infrastructure Works (KM)

From Project Site To	Distance (KM)
1. Main Quarry And Crushing Plant Near Village Main (Coarse & Fine Aggregate Quarry)	2.20
2. Royal Quarry And Crushing Plant Near Villages Koyal	8.00
3. Coarse & Fine Aggregate Quarry	1.50
4. Dumping Site (DS-2) Near Bhausa Bhaud	5.00
5. Main Office At Bihal	5.00



Annexure-I

LAYOUT PLAN OF LHEP STAGE-1



हिन्दी अनुवाद

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला एवं
कुल्लू जिलों में स्थित लूहरी जल विद्युत
परियोजना चरण-1 के सामाजिक प्रभाव आंकलनार्थ
गठित विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट



हिन्दी अनुवाद

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला एवं
कुल्लू जिलों में स्थित लूहरी जल विद्युत
परियोजना चरण-1 के सामाजिक प्रभाव आंकलनार्थ
गठित विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट



शब्द संक्षेप सूची

एसआईए	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन
एसआईएयू	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई
एचआईपीए	हि.प्र. लोक प्रशासन संस्थान
एसआईएमपी	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना
आर.एंड आर.	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन
पीएएफ	परियोजना प्रभावति परिवार
एलएचईपी	लूहरी जलवदियुत परियोजना
जीओआई	भारत सरकार
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आकांक्षी नकिय	एसजेवीएन लि.
एलएडीए	स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण
एफजीडी	मुद्दा समूह चर्चा
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
आरएचईपी	रामपुर जलवदियुत परियोजना
एनजेपीसी	नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन
अनु.ज.जा.	अनुसूचति जन जाति
अनु.जा.	अनुसूचति जाति

1. पृष्ठभूमि

हमिचल प्रदेश सरकार ने 210 मेगावाट की स्थापति क्षमता के साथ लूहरी जलवद्वियुत परियोजना चरण-1 भारत सरकार और हमिचल प्रदेश सरकार के संयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एसजेवीएन को निर्माण एवं प्रचालन के मकसद से वर्ष 2016 में सौंपी थी। लूहरी जलवद्वियुत परियोजना चरण-1 की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक-1 में दी गई हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वसित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी नकिया का कुल 149.0716 हैक्टेयर से युक्त 98.1004 हैक्टे. सरकारी वन्य भूमि और 50.9712 हैक्टे. नज्ी भूमि अधगिरहति करने का प्रस्ताव है। शमिला एवं कुल्लू जलियों के आठ राजस्व गांवों की 6 ग्राम पंचायतों में फैली यह 50.9712 हैक्टे.नज्ी भूमि लूहरी जलवद्वियुत परियोजना चरण-1 की मानचित्र योजना के अनुसार वभिन्न घटकों के स्थापन और अधगिरहणार्थ चनिहति एवं प्रस्तावति थी।

प्रस्तावति भूमि के अधगिरहण की प्रक्रिया नमिनलखिति में नरिदष्टि प्रवधि और दशा-नरिदेशों के अनुसार संपन्न की जानी है।

- भूमि अधगिरहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधनियम, 2013 (आरटीएफसीटीएलएआआर अधनियम 2013)

एवं

- हि.प्र. भूमि अधगिरहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास नयिम, 2015 (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एं सहमति) (एचपीआरटीएफसीटीएलएआआर नयिम 2015)

अधनियम के भाग-II के तहत भूमि अधगिरहण सूचना शुरू करने से पहले आरटीएफसीटीएलएआआरआर, अधनियम, 2013 के भाग-4 के अनुसार एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) नषिपादति कराया जाना जरूरी है। तदनुसार प्रभावति गांवों और इसके बाशिंदों पर प्रस्तावति भूमि अधगिरहण के पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का पता लगाने के लिए संबंधति पंचायतों, गांवों और प्रभावति आवादी के साथ मंत्रणा करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

इस प्रकार एक एजेंसी एएफसी इंडिया लिमिटेड. को लगाकर तैयार की गई एसआईए रिपोर्ट में नमिनलखिति वसित सूचना उपलब्ध हुई है :

- भूमि गंवाने वालों की गणना।
- प्रभावति गांवों और पंचायतों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा।
- वसिथापति होने वाले परिवारों की संख्या।
- प्रभावति होने वाली नरिमति संरचनाओं की संख्या और उनके उपयोग की प्रकृति।
- हतिधारकों की संपत्ति सूची।
- असुरक्षति समूहों की संपत्ति सूची।
- भूमि मूल्यांकनार्थ अपनाए जाने वाली वसित रूपरेखा और प्रवधि।
- भूमि अधगिरहण और परियोजना निर्माण से संभावति रूप से होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की हद और तीव्रता का आकलन।

- वसिथापति पीएएफ के पुनरस्थापन और पुनरवास पक्ष ।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) ।

2. वशिषज्ज समूह का गठन

अधिनियम के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार होने पर वशिषज्ज समूह द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। हि.प्र. सरकार के राजस्व विभाग ने इस प्रावधान के अनुसरण में शमिला और कुल्लू जिलों में स्थिति लूहरी चरण-1 जलवद्विद्युत परियोजना के निर्माणार्थ 50.9712 हैक्टे. क्षेत्रफल की नजी भूमिके अधिग्रहणार्थ सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के मूल्यांकन/आकलनार्थ दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना संख्या राजस्व.बी.ए. (3)-3/201-खंड.॥ तथा दिनांक 14.08.2018 की अधिसूचना संख्या राजस्व.बी.ए. (3)-3/2014-॥ के जरिए एक स्वतंत्र बहुवधिया वशिषज्ज समूह का गठन किया। इस वशिषज्ज समूह में नमिनलखिति सरकारी/गैर-सरकारी सदस्य हैं:-

- ई. के.एल. ठाकुर, नदिशक, हमिऊर्जा, वशिषिट परियोजना यानी एलएचईपी, चरण - I के लिए अध्यक्ष एवं तकनीकी वशिषज्ज
- प्रो. एस.के.शर्मा (सेवानवृत्त), समाजशास्त्र के प्रोफेसर, हि.प्र. विश्वविद्यालय, शमिला गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक।
- डॉ रणवीर सहि, (सेवानवृत्त) कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र, हि.प्र. विश्वविद्यालय, शमिला गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक।
- श्रीमती चमेलो देवी, सदस्य, पंचायत समिति, तहसील, नरिमंड, जिला कुल्लू, कुल्लू जिले की प्रभावति ग्राम पंचायतों की प्रतिनिधि।
- श्रीमती राम दासी, सदस्य, जिला परिषद, जिला शमिला, जिला शमिला के प्रभावति ग्राम पंचायतों की प्रतिनिधि।
- डॉ आर के सूद, (सेवानवृत्त) मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, हि.प्र. सरकार, पुनरवास वशिषज्ज।
- डॉ बी बी नेगी, संयुक्त रजिस्ट्रार, इग्नू, शमिला, पुनरवास वशिषज्ज।

2.1) वशिषज्ज समूह के लिए अधिदिश:

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनरवास अधिनियम 2013 के भाग 7 के उप भाग (1) के तहत गठित वशिषज्ज समूह सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन का जायजा लेने के बाद नमिनवत आकलन करे:

- क्या परियोजना से किसी सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है ?
- क्या संभावित फायदे सामाजिक लागतों तथा प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं ?

- क्या अधग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा परियोजनार्थ बिल्कुल जरूरी न्यूनतम भूमि है ?
- क्या प्रभावी पुनर्स्थापन योजना के साथ अन्य कम वसिथापनकारी विकल्प उपलब्ध हैं ?

3. मूल्यांकनार्थ अंगीकृत पैरामीटर

वशिषज्ज समूह ने वधिवित वचिर वमिर्श के उपरान्त एसआईए रपिर्ट के मूल्यांकनार्थ नमिनलखिति प्रचलों (पैरामीटरों) पर वचिर कयिा:

- 1) सामाजकि प्रभाव आकलन अध्थयनार्थ अपनाई प्रक्रयिा की यथोचतिता एवं संपूर्णता ।
- 2) नषिपादति जन मंत्रणा की सीमा एवं पारदर्शति ।
- 3) एसआईए प्रक्रयिा में वभिन्नि हतिधारकों की प्रतभिागति की पारदर्शति एवं गुणवत्ता की हद ।
- 4) सामाजकि रूपरेखा और सामाजकि संकेतक ।
- 5) असुरक्षति समूहों की पहचान ।
- 6) सामाजकि प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) की प्रभावशीलता ।
- 7) सार्वजनकि मुद्दों को लेकर जनता की सोच और हल ।
- 8) सार्वजनकि हति की पूर्ति ।
- 9) सामाजकि लागतों की तुलना में प्रतकिल सामाजकि प्रभाव ।
- 10) जरूरी न्यूनतम हद तथा विकल्प ।
- 11) पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास तथा राहत पक्ष ।

3.1) एसआईए अध्थयनार्थ अंगीकृत प्रक्रयिा की यथोचतिता एवं संपूर्णता :

भूमि अधिग्रहण में उच्चि मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013, अध्याय-II भाग-4(1) में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन एक अनिवार्य घटक है। डाटा प्रमाणीकरण, बलिकुल पूरे, सावधानीपूर्ण और गहन गुणवत्ता से युक्त आकलन, संतुलित और वसितृत वचिरों की प्रस्तुतके परपिरेक्ष में सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन में काफी पूर्णता चाहिए होती है जसिसे कयिह एक तकनीकी दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाया जा सके, जसिके आधार पर प्रस्तावति योजना के वकिस को लेकर फैसले लिए जा सकें।

एसआईए रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन दल ने आधिकारिक रिकार्डों ; फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), ग्राम सभा, स्थानीय पीएएफ के प्रतिनिधियों के जरिए मंत्रणा तथा प्रत्यक्ष प्रभावति परिवारों (वे परिवार जो संभावति रूप से अपनी भूमिगंवा देंगे) तथा अप्रत्यक्ष प्रभावति परिवारों (वे लोग जो प्रस्तावति भूमिअधिग्रहण के नकिट रह रहे हैं) के बीच नमूना सर्वेक्षण नषिपादति करके जरूरी डाटा और सूचना एकत्रति की। इसके अलावा उन्होंने भूमिअधिग्रहण की जमीनी सच्चाई का पता लगाने और वभिनिन स्थानों पर जन सुनवाई के आधार पर एसआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए मौके पर जाकर यात्राएं भी की। शमिला एवं कुल्लू जिलों के 8 राजस्व गांव के लगभग 1003 कुटुंबों, जनिका अधिग्रहण के लिए प्रस्तावति 50.9712 हैक्टे. भूमिपर स्वामतिव अधिकार है, से युक्त सभी पीएएफ को इस अध्ययन के दायरे में लिया गया। गृहवार सर्वेक्षण के लिए टीम द्वारा प्रस्तावति एक सर्वेक्षण प्रश्नावली की अंगीकरण से पहले एचआईपीए के एसआईएयू से संवकिषा करवाई गई।

अध्ययन शुरू करने के लिए अपनाई गई प्रवधि और दृष्टिकोण की समीक्षा करने के बाद वशिषज्ज समूह का यह मत है कि अपनाई गई प्रवधि पूर्ण है और अधिनियम में वहिति दशिा-नरिदेश और इस मकसद के लिए नरिधारति नयिमों के अनुसार है।

3.2) प्रभावति पंचायतों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा:

210 मेगावाट की स्थापति क्षमता के साथ प्रस्तावित परियोजना हि.प्र. के शमिला और कुल्लू जिलों में अवस्थित है और 644.19 क्यूमेक्स के अभिकल्पित प्रवाह से युक्त है। लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 रन-ऑफ-द-रिवर योजना है जिसमें अल्पावधि, मुख्यतः व्यस्ततम समय, के लिए जल भण्डारण किया जाएगा।

- इस परियोजना के लिए कुल 149.0716 हैक्टे. भूमि अधिग्रहण की जानी है जो सतलुज नदी के दाएं और बाएं किनारों पर राजमार्ग संख्या 22 के निकट है। शमिला की 6 ग्राम पंचायतों के 8 राजस्व गांव यानि चिरौथा, रेवाली, भद्राश, नाओला, नरोला, नीरथ तथा कुल्लू जिला की नीथर और गडेज के 1003 भू-स्वामियों से लगभग 50.9712 हैक्टे. नज्दी भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।
- संभावित रूप से प्रभावित होने वाले 8 गांवों की कुल आबादी का योग 6095 बनता है (2011 जनगणना), जिनमें से सिर्फ 1003 भू-स्वामियों की भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है जो कुल आबादी का 16.46% बनता है।
- सर्वेक्षण दर्शाता है कि कई पीढ़ियों से बहुत से पीएएफ का मुख्य कामकाज कृषि होने के परिप्रेक्ष्य में कृषि संपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था का आधार है। कुल पीएएफ में से लगभग 85% का मुख्य व्यवसाय कृषि है, 7% गृहवासी सरकारी सेवा में है, 5% नज्दी क्षेत्र की नौकरी में है और सिर्फ 1.5% ही स्व-रोजगारत है। बहुत कम संख्या में गृहवासी पेंशन और दहिाड़ी से होने वाली आय पर निर्भर है।
- आय स्तर सर्वेक्षण बताता है कि 624 पीएएफ की सालाना आय 50,000 रुपए से कम है और सिर्फ 30 पीएएफ की सालाना आय 75, 000 रुपए से अधिक है।
- ज्यादातर गृहवासी गाय पालन में लगे हैं। हालांकि दिनमें से ज्यादातर के लिए यह जीविकोपार्जन का अनुपूरक स्रोत नहीं है।

- नजीक कृषि भूमि के अधग्रहण का 6 गांव के 36 पीएफ पर असर पड़ेगा , क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वे अपनी 100% भूमि तथा कृषि आधारित जीविकोपार्जन गंवा देंगे। इसी तरह, 4 गांव के 14 व्यक्ति अपनी 85 % से 99% तथा रवाली गांव से एक व्यक्ति अपनी 70% से 84% कृषि भूमि गंवा देंगे।
- एसआईए रिपोर्ट इंगति करती है कि प्रभावित 91 नरिमति संरचनाओं में से सिर्फ 54 रहियशी हैं और बाकी 37 पशुशालाएं, झोपड़ियां इत्यादि हैं। उनमें से बनावट के अनुसार 77% पक्की छत और सीमेंट के फर्श के साथ अर्ध स्थायी हैं, जबकि 24% अस्थायी भवन गारे/ईट/लकड़ी और घास-फूस अथवा टीन की छत से बने हैं। सिर्फ 21% संरचनाएं आरसीसी के साथ स्थायी रूप से नरिमति हैं और एकल/दोहरी मंजलि वाले भवन हैं।
- प्रभावित गांवों में ज्यादातर भूमि में साल में दो बार यानि रबी और खरीफ मौसम में खेती की जाती है। इस इलाके में गेहूं, मक्की, आलू और दालों की फसलें उगाई जाती हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कुछ भू-स्वामी सब्जियां भी उगाते हैं।
- कुल प्रभावित भूमि में लगभग 9000 पेड़ हैं जिनमें से वभिन्न ऋतुओं में फल लगते हैं और बाकी के पेड़ बनिा फल वाले हैं। फलों में सेब, प्लम, बादाम और आम के पेड़ हैं।
- पीएफ में से तीन चौथाई से ज्यादा प्रयोक्ता अभकिरण से उनके पुनर्स्थापन में मदद चाहते हैं जबकि केवल 23% अपने बलबूते पर पुनर्स्थापति होना चाहते हैं।
- 97% से ज्यादा लोग भू-क्षतिके बदले में भरपाई के तौर पर नकद रकम चाहते हैं, बाकि बिचे लोगों में से, जो गंवाई गई भूमिके बदले में भूमिलिने को तरजीह देते हैं, वे उस भूमिकी उर्वरकता और स्थान को लेकर संदेह रखते हैं जो उन्हें भरपाई के रूप में दी जाएगी।
- नरिमति संरचनाओं की अधग्रहण की स्थिति में 14% परयोजना प्रभावित परिवार चाहते हैं कि उनके नरिमति संरचनों के अधग्रहण होने की स्थिति में वैसी ही संरचना बना कर दी जाए। जबकि 86% लोगों ने नरिमति संरचना अधग्रहण की स्थिति में नगद राशालिने की प्राथमकिता

व्यक्त की है। तीन चौथाई परियोजना प्रभावित परिवार चाहते हैं कि उनका पुनर्स्थापन करे जबकि मात्र 23% स्वयं पुनर्स्थापित होना चाहते हैं।

रिपोर्ट में प्रस्तुत आर्थिक आंकड़ों पर गौर करने के बाद विशेषज्ञ समूह को यकीन है कि आंकड़े यकीनी है और एसआईए प्रक्रिया के हिससे के रूप में एकत्रित की गई सूचना का व्यवहारिक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन और एसआईएमपी योजनाएं बनाने के लिए असरदार और उपयोगी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

विशेषज्ञ समूह ने यह भी पाया कि संभावित सामाजिक प्रभाव न्यूनतम और नपिट सकने लायक होगा, क्योंकि प्रभावित परिवारों (1003) में से सिर्फ 5.4% (54) का ही वसिथापन होगा।

यह भी देखा गया है कि कोई अनैच्छिक वसिथापन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर पीएएफ परियोजना गतिविधियों के लिए अपनी भूमि देने को तैयार हैं और परियोजना प्रस्तावकों के साथ मंत्रणा प्रक्रिया में अच्छी तरह से सहयोग दे रहे हैं।

विशेषज्ञ समूह ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की कि ज्यादातर पीएएफ गरीब किसान हैं क्योंकि परियोजना पूर्व आय स्तर सर्वेक्षण दर्शाता है कि उनमें से 68% लोगों की सालाना आय 50,000 रुपए से कम है। यह भी पाया गया कि काफी बड़ी संख्या में पीएएफ पर (42%) कृषि गतिविधियों के लिए लिए गए ऋणों की बकाया उधारी है। यह संस्तुत की गई है कि उन पीएएफ के मामलों में, जिनोंने अधग्रहण प्रक्रिया के तहत अपनी 100% कृषि भूमि गिंवा दी है, भरपाई पैकेज के हिससे के रूप में ऐसी देनदारियों को आमेलित करने पर विचार किया जाए।

यह संस्तुत की गई है कि विस्थापित परिवारों के सशक्तिकरण के वैकल्पिक रोजगार विकल्पों के साथ विशिष्ट आर.एंड आर. योजनाएं बनाकर और नए सततशील रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए साधनों से लैस करके प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक प्रभावों को दूर किया जाए।

3.3) असुरक्षित समूह:

- एसआईए रिपोर्ट में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया कुटुंबों जैसे असुरक्षित पीएएफ की पहचान की गई है जो जलवदियुत परियोजना में भूमि अधिग्रहण के कारण प्रतिकूल प्रभावों का सामना करेंगे।
- लैंगिक आधार पर सभी व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है कि महिलाएं और पुरुष लगभग समान अनुपात में हैं। 920 परिवारों में से 169 परिवारों में 21 साल की आयु से ऊपर के अवविहित लड़के हैं। इसी तरह 73 परिवार ऐसे हैं जिनमें 18 साल से ऊपर की आयु की अवविहित कन्याएं हैं।
- लगभग 66 कुटुंबों की मुखिया महिलाएं हैं। अंतिम बीपीएल गणना के अनुसार तकरीबन 45 कुटुंबों को गरीबी की रेखा से नीचे के कुटुंब घोषित किया गया है। वधिवार्ता/तलाकशुदा की संख्या 13 है। सिर्फ 3 पीएएफ में शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग परिवारिक सदस्य हैं। सर्वेक्षित पीएएफ में कोई अव्यक्त अनाथ नहीं है।
- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में असुरक्षित हितधारकों के रूप में 50 मुसलमान परिवार पाए गए। इन परिवारों ने कई साल पहले राजस्व विभाग द्वारा सरकारी भूमिकी पहचान के बाद आवासीय घरों का निर्माण किया है लेकिन आज की तथितिक जमीन उनके नाम नहीं चढ़ाई गई है।

विशेषज्ञ समूह असुरक्षित समूहों की पहचान करने के लिए की गई कोशिशों से संतुष्ट है और यह सुझाव दिया है कि पुनर्वास योजना में उनकी जरूरतों पर अवश्य विचार किया जाए और यह यकीनी बनाया जाए कि अकांक्षी निकाय की आर.एंड आर. नीतिके अंतर्गत यथाग्राह्य

संभावति मदद उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास अभियोजना तथा अल्पीकरण उपाय लागू करते समय उन पर वचिार कयिा जाए ।

3.4) एसआईए प्रक्रिया में वभिनिन हतिधारकों की प्रतभिागति की हद, पारदर्शति तथा गुणवत्ता

सामाजकि प्रभावों की तैयारी और आकलनार्थ प्रतभिागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) कार्यक्रमों, जन मंत्रणाओं और केन्द्रीत समूह वचिार-वमिर्श आयोजति करने के जरएिे जनभागति को यकीनी बनाया गया । एसआईए टीम ने प्रभावति क्षेत्नों में वसितृत जन मंत्रणाएं शुरू कीं, इसमें उनके वचिार जानने, उन्हें परयिोजना के संभावति नकारात्मक प्रभाव और भावी फायदों से अवगत कराने के लिए प्रभावति आबादी से गृह सर्वेक्षण के जरएिे मंत्रणा भी की । ऐसा इसलएिे कयिा गया ताकल्लिग परयिोजना के प्रभावों को साफ तौर पर जान सकें । लगभग सभी प्रभावति पंचायतों में जन सुनवाईयां आयोजति करने से यह भी यकीनी बनाया जा सका कसिभी हतिधारकों को एसआईए अध्ययन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए । सूर्य नारायण बांध वसििथापति संघर्ष समतिकिा गठन और व्यक्तयिों तथा स्थानीय नकियायों द्वारा भेजे गए पत्र एसआईए प्रक्रिया में यकीनी बनाई गई प्रतभिागति और जागरूकता के स्तर के ज्वलंत उदाहरण है । जन सुनवाईयों के दौरान उठाए गए मुद्दों और व्यक्त की गई चतिाओं में तथा उनके द्वारा भेजे गए पत्रों में सामाजकि प्रभावों तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के सभी पक्षों का समावेश था । यह सारा वविरण हतिधारकों की गहरी सोच और उच्च जागरूकता दर्शाता है ।

वशिषज्ज समूह ने संतोष व्यक्त कयिा कएसआईए अध्ययन की प्रक्रिया में सामुदायकि प्रतभिागति व्यापक और परणामोन्मुखी थी ।

3.5) सामाजकि प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी)

लूहरी जलवदियुत परयोजना चरण-1 से उत्पन्न संभावति रूप से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों और जोखिमों को दूर करने के लिए एसआईए नष्टिकर्षों और लोगों द्वारा वभिन्न स्तरों पर व्यक्त चिंताओं पर वचिर करने के बाद एसआईएमपी का वकिस कयिा गया है ।

सुझाए गए वकिस उपाय नमिनवत है:

- वनीकरण
- लफिट सचिाई सुवधिएं देना
- जल आपूरति और इसकी गुणवत्ता का सुदृढीकरण
- स्वास्थ्य सेवाओं (अस्पताल) का सुदृढीकरण
- स्कूल एवं वजीफे
- तकनीकी संस्थान
- सर्वकालकि सड़के
- परयोजना प्रभावति परविरों को नःशुल्क वदियुत आपूरति
- खेलों का वकिस
- जागरूकता शविरि

सुझाए गई आय सुधार पहलें नमिनवत हैं :

- पर्यटन को बढावा
- स्व सहायता समूहों का गठन एवं सुदृढीकरण
- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां तथा शीत भंडारण
- आय सुधारार्थ सांस्थानकि कड़ी

कृषकों एवं समुदायोन्मुखी स्थापना का वकिस

- बीज बैंकों की स्थापना
- आवारा पशुओं से नजिात पाने के लिए गौ-शाला बनाना

- स्थानीय मंडी या ग्रामीण हाट की स्थापना में मदद देना
- पीएपी के लिए वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन

एसआईएमपी के अंग के रूप में सुझाई गई पहलों पर वचिार वमिर्श करने के बाद वशिषज्ज समूह ने पाया कसुझाई गई समाधान योजना में एसआईए अध्ययन के हसिसे के रूप में चनिहति प्रभावों के लगभग सभी पक्ष आते हैं। समाधान योजना में लोगों की उन चतिओं को भी दूर करने की कोशशि की गई है जो जन सुनवाई के दौरान व्यक्त की गई थी। आगे यह भी सुझाया गया है कविसितृत आर.एंड आर. योजना तथा समाधान योजना बनाते समय नमिनलखिति पर प्राथमकिता के आधार पर वचिार कयिा जाए :

- 1) योजना में उन पीएएफ को वैकल्पकि रोजगार उपलब्ध कराने के तरीके अनविार्यतः सुझाए जाएं जनिका वसिथापन होगा और जो अधग्रहण के कारण अपनी शत-प्रतशित कृषभूमिगिंवा देंगे।
- 2) सभी पीएएफ की दक्षताओं का पता लगाया जाए ताकपीएएफ की रोजगारति को सुधारने के लिए व्यवहारकि तथा उपयुक्त दक्षता वकिस कार्यक्रम प्राथमकिता पर वकिसति कएि जा सकें।
- 3) परयोजना क्षेत्र में ज्यादातर परिवार कृषक हैं, इस प्रकार सचिाई सुवधिओं का वकिस करके तथा कृषकों को अन्य प्रौद्योगकिीय जानकारयिं और बाजारी कड़यिं उपलब्ध करवाकर कृषकीय एवं बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक योजना वकिसति की जाए।
- 4) ह.प्र. सरकार की जैवकि खेती और जीरो बजट खेती जैसी लोकप्रयि स्कीमों को लोकप्रयि बनाने और लागू करने के लिए भी कोशशिं की जाएं। इस मकसद के लिए वशिषवदियालयों से वशिषज्जों की सेवाएं ली जा सकती है।
- 5) यह भी देखा गया है कगिाय पालन ज्यादातर पीएएफ का एक सामान्य जीवकिोपार्जन होने के बावजूद इस गतविधििका व्यवसायकि पैमाने पर वकिस नहीं कयिा गया है। आयगत सत्रोतों में बढ़ोत्तरी करने और महिला सशक्तकिरणार्थ इस गतविधििपर ध्यान केन्द्रति करने की काफी गुंजाईश है।

6) साथ ही साथ अधग्रहण प्रक्रिया के दौरान संभावित रूप से प्रभावित होने वाली सार्वजनिक सुविधाओं जैसे ग्रामीण रास्तों, शमशान, जल स्रोतों, रज्जू मार्गों इत्यादि के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को तरजीह दी जाए।

7) एसआईए प्रणाली के हिससे के रूप में चन्हति असुरक्षति समूहों के हति रक्षणार्थ वशिषिट योजना बनाई जाए।

8) आदर्श गांव के वकिस पर भी वचिर कयिा जाए।

9) वशिषज्ज समूह ने यह भी मत व्यक्त कयिा क्वसिथापति परिवारों के लिए कालोनी के वकिसार्थ योजना बनाते समय पछिले अनुभव वशिषतया रामपुर जल वदियुत गृह ओर नाथपा झाखडी जल वदियुत गृह के अनुभवों पर वचिर कयिा जाए।

3.6) जनता की सोच और सार्वजनिक मुद्दों का समाधान

यह देखा गया है क्वएसआईए प्रणाली के हिससे के रूप में समुदाय की सोच और प्रत्याशाओं का पता लगाने के लिए केन्द्रति समूह चर्चाओं (एफजीडी) तथा प्रतभागी ग्रामीण मूल्यांकनों (पीआरए) के अतरिकित अधग्रहण पूर्व जनगणना तथा जन मंत्रणाएं आयोजति की गई।

वशिषज्ज समूह परयोजना को लेकर प्रभावों और प्रत्याशाओं के प्रतिसामुदायिक सोच का पता लगाने के लिए नीरथ, नीथर, देहरा, गडेज, शमाथला (रविली) तथा दत्तनगर में संचालति जन सुनवाईयों की संख्या और वसितार को लेकर संतुषट था। ऐसी चर्चाओं के दौरान उभरे कुछ आम मुद्दे नमिनवत है:

- 1) भरपाई पैकेज का आकार, समयबद्ध और बाधा रहति नषिपादन
- 2) वसिथापति परिवारों को रोजगार
- 3) आदर्श ग्रामों का वकिस

- 4) स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार तथा प्रावधान
- 5) सुधरी हुई पेयजल और सचिई सुवधियों का प्रावधान
- 6) बाकी बची आर्थिक रूप से अव्यवहार्य भूमिका अधग्रहण
- 7) सड़क संपर्क का सुधार एवं सुदृढीकरण
- 8) धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार
- 9) पानी में फ्लोराईड की अधिक मात्रा जैसे जल गुणवत्ता के छुटपुट मुद्दों का समाधान
- 10) जन सुवधियों का पुनरुद्धार

एसआईए रिपोर्ट के हिससे के रूप में की गई वभिन्न संसुततियों से सहमत होते हुए वशिषज्ज समूह ने आगे यह सुझाया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान मुद्रा स्फीतिके परपिरेक्ष में 2013 अधनियम के हिससे के रूप में भरपाई पैकेज पर कुछ घटकों को लेकर पुनर्वचार किए जाने की जरूरत है।

परयोजना क्षेत्र में भूमिक बड़ी भौतिक परसंपत्त होने और कृषि जीविकोपार्जन का एक मुख्य स्रोत होने के परपिरेक्ष में नजी कृषि एवं व्यावसायिक भूमि गंवाने, नजी संरचनाओं जैसे आवासीय मकानों, व्यावसायिक दुकानों, अन्य संपत्तियों तथा संबंधित मौजूदा अवसंरचना गंवाने तथा पीएएफ का जीविकोपार्जन का जरिया खत्म हो जाने के लिए भरपाई लागत, हि.प्र.राज्य में लागू मौजूदा अधनियमों और मानदंडों के साथ-साथ वर्तमान परयोजना के ठीक ऊपरी प्रवाह में स्थिति रामपुर जलवदियुत स्टेशन के पीएएफ को अदा किए गए पैकेजों के अनुसार प्रदान की जाए।

जन प्रतनिधियों द्वारा वशिषज्ज समूह के ध्यान में पुनः लाए गए अनसुलझे अन्य मुद्दे नमिनवत हैं:

- 1) बची हुई भूमिका अधग्रहण
- 2) परयोजना प्रभावित पंचायतों की सूची में कुछ अतरिकित पंचायतों का समावेशन।

वशिषज्ज समूह ने जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए 01 एवं 02 सितंबर, 2018 को मौके पर जाकर प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और दोनों मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद यह मत व्यक्त किया कि सुलन यह अनविर्य है कि अधग्रहणीय भूमि की मात्रा को न्यूनतम रखा जाए तथा अतिरिक्त भूमि के अधग्रहण की किसी भी संसुत को न माना जाए। हालांकि असल नपाई और भूमि भूयूटेशन प्रक्रिया के चरण में यदि यह पाया जाता है कि अधग्रहण भूमि के साथ लगे केवल भूमि के कुछ छोटे टुकड़े ही बचे रह गए हैं और जनिका पीएफ के लिए कोई उत्पादक उपयोग नहीं है तो आकांक्षी निकाय सक्षम प्राधिकारी से जूरी मंजूरी लेकर इसके अधग्रहण पर विचार कर सकता है।

इसी तरह ग्राम पंचायतों भराच वशिषतः बरकेली, भराच, दनेवथा, थुआ, पनेल और देलठ गांवों को परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के मुद्दे पर सवसितार चर्चा हुई।

वशिषज्ज समूह का मत था कि परियोजना प्रभावित गांव और पंचायतों की पहचान करते समय एक निर्धारित मापदंड का प्रावधान और उपयोग किए जाने के परीरेक्ष में मौजूदा प्रवधि से किसी भी विचलनार्थ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जूरी होगी। वशिषज्ज समूह ने इस स्थिति में किसी तकनीकी कारण की अनुपलब्धता के कारण कोई वशिषिट संसुत नहीं की। हालांकि इस तथ्य के परीरेक्ष में कि प्रस्तावित गांव परियोजना क्षेत्र के दायरे में स्थित हैं, इनके समावेशन पर ईआईए प्रक्रिया एक बार पूरी होने और तकनीकी औचित्यता होने पर विचार किया जा सकता है।

3.7) जन उद्देश्य की पूर्ति

भूमि अधग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 (आरटीएफसीटीएलएआरआर, अधिनियम 2013) जन उद्देश्य के रूप में 8 तरह के भूमि

अधग्रहणों को परभाषति करता है उनमें से एक "सरकार अथवा सरकार द्वारा नरितरति नकरियों (सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भी ज्ञात) के उपयोगार्थ रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों, वदियुत तथा सचिई उद्देश्यार्थ भूमकि अधग्रहण " है ।

प्रस्तावति रन ऑफ-द-रविर लूहरी जलवदियुत पररियोजना से चरण-1 स्वच्छ नवीकरणीय वदियुत का उत्पादन होगा जो राष्ट्रीय वदियुत ग्रडि 777.40 जीडब्ल्यूएच में डाली जाएगी । इस तरह उत्पादति वदियुत से घरों, अस्पतालों, स्कूलों तथा उद्योगों के लिए अतरिकित बेशकीमती नवीकरणीय वदियुत उपलब्ध होगी । स्वच्छ वदियुत उत्पादन से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतकूल प्रभाव पड़ेगा और इस पररियोजना में वैश्वकि तापमान वृद्धि को नरितरति करने में मदद करने के जरएि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बदल सकने की संभाव्यता है । एक ओर जहां उत्पादति बजिली से राष्ट्रीय ग्रडि मजबूत होगी वहीं ह.प्र.राज्य को राज्य में अपने लोगों और उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 12% वदियुत मुफ्त मलिंगी ।

इस प्रकार वशिषज्ञ समूह का मत है कइस प्रस्तावति पररियोजना से एक बहुत बड़े जन उद्देश्य की पूर्त होती है ।

3.8) संभावति लाभों के साथ-साथ सामाजकि लागत तथा प्रतकूल सामाजकि प्रभाव

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादति करने के साथ-साथ प्रस्तावति लूहरी जलवदियुत पररियोजना चरण-1 प्रभावति जनता को एक स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध करवाएगी ।

राज्य नीतिके अनुसार पररियोजना की कमीशनगि होने पर 100 यूनिट की नःशुल्क बजिली प्रभावति परिवारों को उपलब्ध होगी । यह नीतियह भी सुनश्चिति करेगी कपररियोजना प्रभावति परिवारों को प्रस्तावति पररियोजना से राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई गई 1% नःशुल्क वदियुत की बकिरी से प्राप्त राजस्व में से जीवनभर वार्षकि रूप से भुगतान भी मलि ।

लाडा (LADA) नधिकि 1.5% की उपलब्धता से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सुवधियों के विकास को भी बल मलिंगा ।

मौद्रकि राहत की उपलब्धता में जीवन शैली को पूर्णरूपेण परिवर्तित करने की क्षमता होती है । नवीन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जॉब उपलब्धता तथा जीवन स्तर संबंधी विकल्प, सुरक्षा तथा जीवनपरक सुरक्षा को उपलब्ध करवाते हुए प्रभावित परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे ।

जलवदियुत परियोजनाओं के विकास के परिणामस्वरूप जो सामान्यतः आठ प्रकार के वनिशकारी वस्थिपन जोखमि स्थानीय नागरिकों को उठाने होते हैं, वे हैं- भूमिहीनता, बेरोजगारी, गृह वहीनता, मार्जनालाईजेशन, बढ़ती हुई रूग्णता और मृत्युदर, खाद्य असुरक्षा, संपत्तिकी आम पहुंच में कमी, सेवा तथा सामुदायिक वखिंडन इत्यादि। भूमिअधग्रहण के आर्थिक प्रभाव में कृषि/बागवानी भूमि, घर अथवा व्यापार की हानिअथवा व्यापारिक आय, चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी, की हानिशामलि है । परियोजना नष्पिपादन के वभिन्न चरणों में उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामगारों की आमद तथा अन्य आर्थिक प्रवासियों के आने से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़नेकी संभावना है ।

एसआईए दस्तावेजों में वर्णित नरिकरण संबंधी सुझाए गए उपायों तथा न्यूनतम आर.एंड आर. उपायों, यदि उचित रूप से नष्पिपादित किए जाते हैं तो, इन में भूमिअधग्रहण प्रक्रिया के कारण पैदा हुए प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को दूर करने की क्षमता है ।

वशिषज्ञ समूह ने पाया है कि परियोजना की अनुमानित लागत 1912.59 करोड़ रुपए है जिसमें 297,9760,422.23 रुपए की लागत खड़ी फसल की लागत को छोड़कर, भूमिमुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों हेतु शामिल है । इस प्रकार एसआईएमपी नष्पिपादन तथा भूमिमुआवजे की अनुमानित लागत, कुल परियोजना लागत की केवल 15.57% है, जो लागत संबंधी लाभों की दृष्टि से देखने पर कारणसंगत है ।

3.9) अपेक्षति न्यूनतम वसितार तथा वकिलूप

लूहरी जलवदियुत परयोजना चरण-1 शायद एक ऐसी परयोजना है जसिके बारे में वशिषज्जयों द्वारा पड़ताल की गई है क्योकइसका प्रारूप तथा स्थान को पर्यावरणीय कारणों से बार बार बदला गया है। जनिहोंने पर्यावरणकि वैचारकि स्थितियों के कारण इनमें परविर्धन कयिा है। वैकल्पकि अध्ययन कएि गए है जनिमें नरिथ गांव में बांध तथा खेंगसू गांव में वदियुत गृह स्थल पर कएि गए अध्ययन भी शामिल हैं। इसी प्रकार उच्च लागत एवं नरिमाण में अनुमानति कठनिाईयों के मद्देनजर गांव की डाऊनस्ट्रीम पर बांध स्थल के नरिमाण का वचिार त्याग दयिा गया। उसके दायीं और बांये दोनों कनारों पर वदियुत गृह के नरिमाण पर वचिार कयिा गया तथा अंततः दायें कनारे को ही चारों यूनटिों को लगाने के लएि चुना गया।

इस प्रकार वशिषज्ज समूह इस बात से संतुषट है कि विरतमान स्पेसफिकिशनस, वसितृत पुनरावृत्ति प्रक्रयिा तथा गहन आयोजना के पश्चात नरिधारति कएि गए है। अधगिरहण हेतु भूमिकी आवश्यकता अब बहुत कम रखी गई है। यथा अधगिरहण हेतु प्रस्तावति लगभग 50.9712 हैक्टे. की नजिी भूमिका लगभग 72% हसिसा ही जलाशय में डूबेगा तथा लगभग 18% भूमिका उपयोग डंपगि कार्य में होगा।

3.10 वसिथापन, पुनरवास तथा राहत

भूमिकृषकों, भू-मालकिों के लएि बहुमूल्य स्त्रोत है तथा जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकनि वकिस कार्यों को क्रयिान्वयन के लएि भूमिभूल आवश्यकता है। इस प्रकार की गतविधियों के लएि भू-अर्जन से स्थानीय समुदाय को उनकी भूमिसे वसिथापति होने पर आर्थकि, सामाजकि तथा सांस्कृतकि रूप से रूकावट आएंगी। हालांकिकिसी भी परयोजना के पुनस्थापन की प्रक्रयिा, लाभ और हानिदोनों ही दृष्टियों से सदैव प्रभावति जनता को दुःख और सुख दोनों प्रदान करने का कारण बनती है। जलवदियुत परयोजनाओं के वकिस से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावति लोगों को अपनी भूमि, घरों तथा अन्य ढांचों के लएि नकद रूप में प्रदान कयिा जाने वाला मुआवजा इस अर्थ में काफी नहीं होता।

चूँकि भूमि मालिक अपनी भूमि से भावनात्मक आधार पर जुड़े होते हैं तथा कई पीढ़ियों से उसमें रहते रहे हैं तथा अपने जीवन के समस्त कार्यकलाप उन्होंने इसी भूमि में पूर्ण किए होते हैं।

चूँकि पुनर्स्थापन, जनता के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों, व्यवसायों, नविस स्थितियों, जीवन शैली, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक सहयोग प्रणालियों को प्रभावित करता है, अतः परियोजना प्रभावित परिवारों हेतु आर एंड आर योजना संबंधित राज्य सरकार, जिला प्रशासन तथा प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर तैयार की जानी चाहिए। जिन सुझाए गए मुद्दों/बिन्दुओं/तथ्यों को आर एंड आर पैकेज में शामिल किया जाना है वे निम्नवत् हैं:

(क) मुआवजा/क्षतिपूर्ति

मुआवजा समान स्थितियों में वर्तमान नियम एवं वनियमों तथा पूर्व स्थितियों के अनुसार दिया जाना है।

(ख) वास्तविक भौतिक पुनर्वास

- ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास इत्यादि
- सरकारी नीतिके अनुसार उपलब्धता के आधार पर कृषि भूमि अथवा भूमिहीन अनुदान प्रदान करना।
- प्रभावित क्षेत्र को सामूहिक लाभ प्रदान करने हेतु जन स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, इत्यादिको विकास करना।
- मूलभूत सुविधाएं यथा सड़कें, पुल, जनता हेतु सड़क, पेयजल, बजिली, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादिको प्रावधान करना।
- प्रभावित क्षेत्र के कमजोर वर्गों यथा बीपीएल, एससी/एसटी परिवारों, विधवा, शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों तथा अन्य कमजोर मुस्लिम परिवारों हेतु विशेष उपाय/सुविधाएं।

- जन सुवध्वा स्थलों तथा धार्मक स्थानों का पुनरूद्धार/पुनस्थापन ।
- सेंटलमेंट्स को वस्थापति करने से पूर्व उनके कॉमन प्रॉपर्टी स्रोतों पर यथोचित वचार कया तथा उन्हें उचित मुआवजा दया जाना है ।

(ग) आर्थक पुनरवास

- कृषा/बागवानी संबंधी गतविधियों तथा गैर कृषा संबंधी आर्थक गतविधियों इत्याद हेतु सहायता प्रदान करना ।
- परविहन, घरेलू सामान की खरीद हेतु शुल्क , पशु इत्याद
- अधनियम अनुसार कषतपूरत शुल्क ।
- पशुशाला इत्यादबिनाने के लिए वत्तीय सहायता ।

(घ) प्रशकषण

- उद्यम कषमता वकसति करने के लिए वोकेशनल प्रशकषण ।
- वत्तीय प्रबंधन की शकषा देने के मद्देनजर परयोजना प्रभावति कषेत्रों में वत्तीय शकषा प्रशकषण ।
- बेहतर उत्पादन के लिए कृषा एवं मृदा प्रबंधन तथा जल संरक्षण, फसल एवं उसकी कसिमों का चुनाव, साथ ही अन्य सांस्कृतक प्रथाओं को अपनाना इत्याद

भूमधारक जन्होंने अपनी भूमि, घरों इत्यादको खोया है, हालांकभावनात्मक रूप से अपनी भूमि/घरों से कई पीढ़ियों से जुड़े होते है और इसी भूमिसे इनकी जीवन जीने की आवश्यकताओं की पूरतहोती है। उन्होंने अपने कई संबंधति तथ्य, अनुभव तथा समस्याएं बताई हैं जन्हें जन सुनवाई तथा वशिषज्ज समूह की बैठकों में भी उठाया गया था । अतः पुनरवास एवं पुनरस्थापन योजना इन लोगों की आवश्यकताओं और आशाओं, इच्छाओं को ध्यान में रख इन पर बातचीत करते हुए वकसति की जानी चाहए। अन्यथा

समुदायों को बना उनहें आर्थिक एवं सामाजिक जीवन शक्ति उपलब्ध करवाते हुए पुनर्स्थापति करना उनके अस्तित्व को खतरा पैदा होने का कारण बन सकता है ।

4. वशिषज्ज समूह के नषिकर्ष एवं संस्तुतियां

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों, जन सुनवाई के दौरान क्षेत्र की सामाजिक रूपरेखा, जनता से संबंधित तथ्यों तथा हतिधारकों के अभ्यावेदनों से गुजरने के बाद वशिषज्ज समूह के नषिकर्ष तथा संस्तुतियां निम्नवत है:

- परियोजना प्रभावित परिवार तथा स्थानीय प्रशासन सहित ज्यादातर हतिधारकों ने समान रूप से यह वचिार प्रस्तुत किया कि परियोजना कार्य जल्द से जल्द बना किसी वलंब के आरंभ किया जाना चाहिए ।
- लोग परियोजना कार्यों के लिए अपनी भूमि देना चाहते हैं बशर्ते कि उनहें उचित मुआवजा दिया जाए । वास्तव में यह वचित्ति स्थिति है कि लोग अपनी शेष भूमि भी देने के लिए प्रबल रूप से इच्छुक हैं । परंतु परियोजना प्राधिकारी अपनी न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर भूमि ग्रहण की प्रतिबद्धता के कारण अनच्छुक हैं ।
- जनसुनवाई के दौरान जनता के प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से यह बात सामने आती है कि वे परियोजना के उस सकारात्मक प्रभाव, जो परियोजना उनहें देगी, के प्रति आश्वस्त है और एलएचईपी चरण -1 की स्थापना से वे पहले से बेहतर अपेक्षित विकास तथा समृद्धि अपने जीवन में प्राप्त करेंगे ।

यद्यपि यह परियोजना नदी के सतत प्रवाह पर आधारित परियोजना है, फिर भी इसके 80 मी. ऊंचे बांध के निर्माण से पीकगि उद्देश्य के अलावा भी एक समुचित समय के लिए भूमि के बड़े हिस्से के डूबने से स्टोरेज रूप में एक जलाशय बन जाएगा। इस जलाशय में पानी के एकत्रीकरण से नदी के डाऊनस्ट्रीम फ्लो (प्रवाह) पर प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि डाऊनस्ट्रीम क्षेत्रों में पारस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए लीन सीजन के दौरान 20% जल की उपलब्धता, मानसून सीजन में 30% तथा सामान्य सीजन में 25% जल उपलब्धता को बनाए रखने तथा प्राकृतिक जल तथा पेयजल, जलचर जीवन, वन्य जीवन तथा मत्स्य इत्यादिके जल संबंधी अधिकारों के मुद्दों के निराकरण के लिए इस परियोजना की मॉनीटरिंग किया जाना अपेक्षित है।

- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नज्दी भूमि की मात्रा न्यूनतम आवश्यकता अनुसार है अतः यह अपरिहार्य है। महत्वपूर्ण परियोजना घटकों के समायोजन हेतु इस भूमि का उपयोग किया जाएगा।
- यह केवल 8 गावों के 1003 प्रभावित भू-मालिकों की कुल जनसंख्या का 16.45% है और उनमें से 5.4% परिवार वसिस्थापित होंगे। 54 परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वसिस्थापन से कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि भूमि अधिग्रहण, अल्पीकरण तथा आर एंड उद्देश्यों पर कुल परियोजना लागत का 15 से 18% ही खर्च होना अपेक्षित है। अधिकतम परियोजना प्रभावित परिवारों की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वषिषज्ज समूह ने संस्तुत किया कि वित्तीय जानकारी देने के अलावा परियोजना प्राधिकरणों को परियोजना प्रभावित परिवारों को बेहतर क्षतिपूर्ति राशि देने, प्रबंधन हेतु संवधान बनाने तथा परामर्शक प्रकोष्ठ बनाने पर वचिार करना चाहिए।
- पुनर्स्थापन तथा पुनर्वसिस्थापन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में अल्पीकरण तथा उन्नत कारक उपायों तथा जन परामर्श के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों की चिंताओं के उचित समाधानों को इसमें शामिल किया गया है। यह भी आशा की जाती है कि सुझाए गए अल्पीकरण उपाय तथा पुनर्स्थापन तथा पुनर्वसिस्थापन योजना समुदायों को सीधे लाभ पहुंचाएगी तथा बेहतर जन संचार, संप्रेषण, स्वास्थ्य, शिक्षा सुवधियां तथा जीवन यापन की सुवधियां उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगी जनिसे भावी पीढ़ियों हेतु स्थायी वकिस होगा।

- यहां कुछ मुद्दे शेष हैं जैसे अंतमि अवार्ड का आकर व स्वरूप, अतिरिक्त क्षेत्र को परियोजना प्रभावित क्षेत्र घोषित करना, अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहण करने की घोषणा, जनिको भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर तय किया जाएगा।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा संतोषजनक तरीके से टपिपणी करते हुए कि एलएचईपी, राष्ट्रीय ग्रिड में 777.40 गीगा वाट प्रति घण्टा वदियुत पहुंचाएगी तथा क्षेत्र में अपेक्षित समृद्धिलाएगी। वशिषज्ज समूह को यह संस्तुत करने में कोई संकोच नहीं है कि प्रस्तावित परियोजना सार्वजनिक हति को पूरा करने के अलावा इसके संभावित लाभ, सामाजिक लागत तथा प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को नष्टिप्रभावी कर देंगे।

इस प्रकार वशिषज्ज समूह दृढ़तापूर्वक संस्तुत करता है कि परियोजना को बना कोई वलिंब किए हाथ में ले लेना चाहिए तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द आरंभ करना चाहिए।

प्रो. एस के शर्मा,
समाजशास्त्र के प्रोफेसर (सेवानवृत्त),
गैर सरकारी सामाज वैज्ञानिक

डॉ रणवीर सहि,
कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र
(सेवानवृत्त) के प्रमुख,
गैर सरकारी वैज्ञानिक

श्रीमती चेमेलो देवी,
सदस्य पंचायत समिति,
प्रभावित ग्राम पंचायत के तहसील, नरिमंड,
जिला कुल्लू के प्रतनिधि

श्रीमती राम दासी,
सदस्य, जिला परिषद, जिला शमिला,
जिला शमिला के प्रभावित ग्राम
पंचायत के प्रतनिधि

डॉ आर के सूद,
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (सेवानवृत्त),
पुनर्वास वशिषज्ज

डॉ वी वी नेगी,
संयुक्त रजिस्ट्रार,
इग्नू शमिला, पुनर्वास वशिषज्ज


वशिषज्ज समूह द्वारा तैयार की गयी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का हन्दी अनुबाद



ईजी.के.एल. ठाकुर,
अध्यक्ष और तकनीकी वशिषज्ज
नदिशक, हमिऊर्जा

Annexure-I

LAYOUT PLAN OF LHEP STAGE-1



POINT	EASTING	NORTHING
A (LEFT BANK)	E 42941.9129	N 45097.4831
B (RIGHT BANK)	E 42768.1364	N 45235.8473

LAYOUT PLAN OF LHEP STAGE - I (210 MW)

अनुलग्नक - I

Panchayat Wise Land Detail

Name of Dist.	Name of Panchayat	Forest Land (Ha)	Private Land (Ha)
Shimla	Sharmathala	00-90-38	09-08-1992
	Nirath	35-31-96	09-40-68
	Duttanagar	18-63-73	04-63-96
	Sub Total	64-87-07	23-13-56
Kullu	Nither	27-99-67	18-00-1998
	Dehra (underground)	02-46-98	
	Sub Total	12-82-32	05-73-58
	Sub Total	83-25-97	27-89-56

Distance Chart For Infrastructure Works (KM)

From Project Site To	Distance (KM)
1. Main Quarry And Crushing Plant Near Village Main (Coarse & Fine Aggregate Quarry)	2.20
2. Royal Quarry And Crushing Plant Near Villages Koyal	8.00
3. (Coarse & Fine Aggregate Quarry)	1.50
4. Dumping Site (05-20) Near Bhausa Dhad	5.00
5. Main Office At Bithal	5.00


A. Component wise Detail of Private Land

Sl. no.	Name of District	Name of Panchayat	Revenue Village	Private Land (Ha)	Component wise detail of Land (Ha)
1	Shimla	Sharmathala	Riwadi	07-43-22	Dumping (05-2)
			Charvata	02-34-85	Office complex
			Naula	01-30-85	Dumping (05-2)
			Naroula	00-42-48	Dumping (05-1)
			Nirath	08-96-20	Reservoir
		Duttanagar	Reservoir	04-63-96	Reservoir
			Switch Yard	02-27-05	Switch Yard
			Reservoir	13-46-43	Reservoir
			Quarry (Main)	02-25-90	Quarry (Main)
			Reservoir	09-77-58	Reservoir
Kullu	Dehra	Dehra	08-73-58	Reservoir	
		Sub Total	50-97-32	50-97-32	

B. Component wise Detail of Forest Land


Sl. no.	Name of District	Name of Panchayat	Revenue Village	Forest Land (in ha)	Component wise detail of Land (Ha)
1	Shimla	Sharmathala	Riwadi	00-47-06	Dumping (05-2)
			Charvata	00-07-79	Office complex
			Naula	00-35-53	Dumping (05-1)
			Naroula	00-86-31	Approach Road & bridge
			Nirath	34-51-46	Re-alignment of NH-05
		Duttanagar	Reservoir	28-43-45	Dam
			Reservoir	18-03-73	Reservoir
			Dam & Power House	11-86-32	Dam & Power House
			Complex	06-45-41	Complex
			Approach Road, bridge & Job Facilities	07-33-72	Approach Road, bridge & Job Facilities
Kullu	Dehra	Dehra	02-28-12	Quarry (Main)	
		Dehra	02-46-98	Diversion Tunnel	
		Dehra	09-12-47	Reservoir	
		Dehra	12-82-32	Quarry (Koyal)	
		Dehra	03-09-85	Quarry (Koyal)	
		Total		149-07-15ha	

Private Land 50-97-32 ha
 Forest Land 96-30-04 ha
 Total Land Requirement 149-07-15ha



अनुलग्नक - I

LAYOUT PLAN OF LHEP STAGE-1



POINT	EASTING	NORTHING
A (LEFT BANK)	E 42041.9128	N 45097.4831
B (RIGHT BANK)	E 42765.1368	N 45235.8473